राजस्थान सरकार
आबकारी विभाग
संशोधन पत्र

वर्ष 2021–22 के आबकारी बंदोबस्त के संदर्भ में देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाईन खुदरा विक्रय दुकान (कम्पोजिट दुकान) के अनुज्ञापत्र (लाईसेन्स) की संशोधित शर्ते–

राज्य सरकार के पत्रांक प.4(1)वित्त/आब/2021 दिनांक 17.02.2021 एवं 28.02.2021 द्वारा आबकारी नीति 2021–22 में संशोधन किया गया है तदनुसार पूर्व में जारी अनुज्ञापत्र की शर्तो में निम्नानुसार प्रतिस्थापन/संशोधन किया जाता है :–

2.2.1 वर्ष 2021–22 के लिये दुकानवार ई–नीलामी से प्राप्त अधिकतम बोली सम्बन्धित दुकान के लिये **वार्षिक गारण्टी राशि** के रूप में निर्धारित की जायेगी।

2.2.2 निर्धारित वार्षिक गारन्टी राशि में से न्यूनतम रिजर्व प्राईस के बराबर राशि एवं न्यूनतम रिर्जव प्राईस से अधिक प्राप्त राशि दोनो को 12 महीनों में बराबर बाटा जायेगा।

न्यूनतम रिजर्व प्राईस राशि के बराबर वार्षिक गारन्टी राशि का निर्धारित मात्रा में मदिरा उठाव कर पूर्ति करनी होगी।

न्यूनतम रिजर्व प्राईस से अधिक प्राप्त राशि पर निर्धारित मात्रा में मदिरा उठाव की शर्त लागू नही होगी। अर्थात न्यूनतम रिजर्व प्राईस से अधिक प्राप्त राशि 12 समान मासिक किश्तों में नगद जमा कराया जा सकता है या किसी भी प्रकार की मदिरा उठाव पर भुगतान किये गये आबकारी शुल्क एवं अतिरिक्त आबकारी शुल्क से समायोजन योग्य होगी।

एक त्रैमास में निर्धारित गारण्टी राशि में से त्रैमासिक न्यूनतम रिजर्व प्राईस के बराबर राशि के लिये निर्धारित प्रतिशत से कम मदिरा का उठाव करने पर उस त्रैमास हेतु निर्धारित न्यूनतम त्रैमासिक रिजर्व प्राईस की शेष राशि पृथक से नकद जमा करवानी होगी।

2.3.1 नीलामी से प्राप्त अधिकतम बोली जो कि वार्षिक गारण्टी राशि होगी।

निर्धारित वार्षिक गारन्टी राशि में से न्यूनतम रिजर्व प्राईस के बराबर राशि एवं न्यूनतम रिजर्व प्राईस से अधिक प्राप्त राशि दोनो को 12 महीनों में बराबर बांटी जायेगी।

2.3.2 प्रत्येक माह की मासिक किश्त का भुगतान उस माह की अंतिम दिनांक तक करना होगा। निर्धारित मात्रा में मदिरा का मासिक उठाव करने पर उस पर देय आबकारी शुल्क का न्यूनतम मासिक रिर्जव प्राईस के बराबर मासिक गारण्टी राशि पेटे समायोजन किया जायेगा। जो किसी भी दशा में मासिक किश्त की राशि से अधिक

28.02.2021

नही होगा परन्तु माह अप्रेल से जून के मध्य मासिक किश्त से अधिक उठाई गई मदिरा का भराव माह जुलाई से सितम्बर तक की किश्तो पेटे दिया जा सकेगा

2.3.3 किसी माह में निर्धारित मात्रा में मदिरा का उठाव नही करने पर उसी त्रैमास के अगले माह/माहों में मदिरा उठा कर पूर्ति की जा सकेगी।

2.3.4 एक त्रैमास में निर्धारित गारण्टी राशि (त्रैमासिक न्यूनतम रिजर्व प्राईस के बराबर) के प्रतिशत से कम मदिरा का उठाव करने पर अनुज्ञाधारी को उस त्रैमास हेतु निर्धारित त्रैमासिक न्यूनतम रिजर्व प्राईस की शेष राशि पृथक से नकद जमा करवानी होगी।

अनुज्ञाधारी को एक त्रैमास में निर्धारित गारण्टी राशि (त्रैमासिक न्यूनतम रिजर्व प्राईस के बराबर) के प्रतिशत से कम उठायी गई मदिरा की मात्रा पर उस त्रैमास हेतु बेसिक लाईसेन्स पृथक से नगद जमा करानी होगी।

2.3.5 कुल वार्षिक गारण्टी राशि (न्यूनतम वार्षिक रिजर्व प्राईस राशि के बराबर तक) में निर्धारित ''देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)की कुल मात्रा में 50 प्रतिशत न्यूनतम हिस्सा राजस्थान निर्मित मदिरा का होगा एवं शेष 50 प्रतिशत हिस्सा देशी मदिरा का होगा जिसमें से 50/60 यूपी का हिस्सा न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा 40 यूपी की देशी मदिरा का 60 प्रतिशत हिस्सा होगा।

3.5 वर्ष 2021–22 के लिये निर्धारित वार्षिक गारण्टी राशि का 5 प्रतिशत राशि अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि के रूप में दिनांक 01.04.2021 या दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व राजकोष में जमा करानी होगी। 05 प्रतिशत अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि का वित्तीय वर्ष 2021–22 के माह मार्च, 2022 में निर्धारित मासिक गारन्टी पूर्ति के लिये मदिरा उठाव हेतु देय आबकारी ड्यूटी अथवा मासिक गारन्टी राशि पेटे समायोजन किया जा सकेगा।

अनुज्ञापत्र की नवीन शर्त संख्या 12, 13 व 14 निम्नानुसार जोडी जाती है :–

12. न्यूनतम रिजर्व प्राईस से अधिक प्राप्त राशि पर निर्धारित मात्रा में मदिरा उठाव की शर्त लागू नही होगी। अर्थात न्यूनतम रिजर्व प्राईस से अधिक प्राप्त राशि 12 समान मासिक किश्तों में नगद जमा कराया जा सकता है या किसी भी प्रकार की मदिरा उठाव पर भुगतान किये गये आबकारी शुल्क से समायोजन किया जा सकेगा।

13. मदिरा उठाव में आयातित विदेशी मदिरा (BIO) भी सम्मिलित है।

28.02.24